म.प्र. राज्य आजीविका फोरम
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
कार्यालय – तृतीय तल, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विज्ञापन

क्रमांक 7871 /रा.आ.फो./टीएचआर/2023–24 दिनांक 19/06/2023

आंगनवाड़ियों में टेक होम राशन (पोषण आहार) की प्रदायगी किए जाने हेतु स्थापित किए गए पोषण आहार उत्पादन संयंत्रों का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य आजीविका फोरम द्वारा गठित महिला स्व–सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा किया जा रहा है।

इन संयंत्रों के लिए सलाहकार के रूप में प्रतिमाह नियत मानदेय पर निम्नानुसार राज्य स्तरीय सलाहकार/विशेषज्ञ की आवश्यकता है।

क्रमांक	सलाहकार/विशेषज्ञ का पदनाम	पदों की संख्या
1.	फूड टेक्नॉलाजिस्ट	01

इच्छुक आवेदक आवेदन की शर्तें, आवश्यक अर्हताएं तथा ऑनलाइन आवेदन प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम की वेबसाइट **https://prd.mp.gov.in/nrlm/** पर देख सकते हैं। आवेदन **दिनांक 04/07/2023 तक** ई–मेल **dyceo@mpraf.nic.in** पर प्रेषित किये जा सकते हैं। आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न कर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। प्रस्तुत आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 04/07/2023 के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे। हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जावेगी।

नोट :–प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच उपरांत योग्य पाए जाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु उनके द्वारा आवेदन में उल्लेखित पते एवं ई–मेल आईडी पर संसूचित किया जावेगा, तत्समय आवेदक अपने संपूर्ण मूल दस्तावेज यथा – शैक्षणिक, अनुभव प्रमाण–पत्रों तथा प्राप्त वेतन के प्रमाण सहित उपस्थित होंगे।

राज्य परियोजना प्रबंधक
राज्य आजीविका फोरम

म.प्र. राज्य आजीविका फोरम

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
कार्यालय – तृतीय तल, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्र.	पदनाम	न्यूनतम अर्हताएं	अधिकतम आयु सीमा	मानदेय
1.	**फूड टेक्नॉलाजिस्ट 01 पद**	**शैक्षणिक योग्यता –** **बी.ई./बी.टेक. (फूड टेक्नॉलाजी)।** **कार्यानुभव –** खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग अथवा कंपनी अथवा शासकीय अथवा अशासकीय संस्था में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव।	65 वर्ष	रू 50,000 प्रतिमाह

2/ **अन्य विवरण** – न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करने वाले आवेदकों की संख्या 10 से अधिक होने की दशा में सर्वोच्च प्राप्तांक वाले अधिकतम 10 आवेदकों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

3/ **चयन की प्रकिया** – अधिकतम 10 उपयुक्त अभ्यर्थियों के ही साक्षत्कार लिए जाएंगे, साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर अंतिम चयन किया जावेगा।

4/ चयनित अभ्यार्थी को 1 वर्ष हेतु सलाहकार के रूप में अनुबंधित किया जावेगा, सफलतापूर्वक 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार सेवा वृद्धि की जावेगी।

5/ साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष हेतु वैध होगी।

6/ **किस भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आजीविका फोरम का होगा।**